उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता , 2006 की धारा 32

32. अभिलेखों को ठीक करना -

(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए , उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी) , क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य [समस्त संव्यवहारों] को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गयी थीं

[परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन , जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखें जाने योग्य नहीं होगा.

उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 नियम 36

36. किसी भूल अथवा लोप का सुधार (धारा 38)-

(1) धारा 38 (1) के अन्तर्गत उल्लिखित अधिकार अभिलेख (खतौनी) , नक्शा खसरा में किसी त्रुटि अथवा लोप हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य अन्तर्विष्ट होंगे

(क) आवेदक का नाम, पितृत्व का नाम तथा पता
(ख) वह दस्तावेज जिसकी दुरुस्ती आवेदन पत्र में चाही गई
(ग) उस भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।
(घ) त्रुटि अथवा लोप की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण।
(ङ) इस आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित नक्शा खसरा अथवा खतौनी की अभिप्रमाणित प्रति लगाई जायेगी जिसके सम्बन्ध में त्रुटि अथवा लोप सम्बन्धित है।
(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत बताये गये आवेदन-पत्र के बिना भी नक्शा खसरा अथवा अधिकार अभिलेख के दुरुस्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है यदि उसमें किसी त्रुटि अथवा लोप की जानकारी तहसीलदार को किसी अन्य प्रकार से भी हो जाती है।
(3) खतौनी के बनाये जाने , पड़ताल, स्थल सत्यापन , मौके पर भ्रमण या निरीक्षण के दौरान लेखपाल, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अथवा किसी राजस्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई त्रुटि अथवा लोप (फर्जी अथवा कूटरचित प्रविष्टि सहित किन्तु ऐसी त्रुटि या लोप जैसा कि धारा 38 के स्पष्टीकरण में दिया गया है , को छोड़कर) नक्शा खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में विद्यमान है , वह इस प्रकरण को सम्बन्धित तहसीलदार को प्रेषित करेगा जो इस नियम के अन्तर्गत इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(4) इस नियम के तहत त्रुटि अथवा लोप को दुरुस्त किये जाने की कार्यवाही में तहसीलदार , राजस्व निरीक्षक या लेखपाल से आख्या प्राप्त करेगा तथा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने तथा संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् मानचित्र में संशोधन के प्रकरण में कलेक्टर को और अन्य संशोधन के प्रकरण में उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अन्दर अपनी आख्या सहित प्रकरण को प्रेषित करेगा।

(5) तहसीलदार द्वारा उपनियम (4) के अन्तर्गत प्रेषित रिपोर्ट के विरुद्ध पक्षों को आपत्ति , यदि कोई हो, प्रस्तुत किये जाने की अनुमति कलेक्टर या उप-जिलाधिकारी , जैसी भी स्थिति हो , देगा और उसके वाद-विवाद को तय करेगा। यदि कलेक्टर या उप -जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो , इस राय के हैं कि नक्सा , खसरा अथवा अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि अथवा लोप है तो वह इसके दुरुस्ती का आदेश प्रदान करेगा।

(6) धारा 38 के अन्तर्गत दुरुस्ती की कार्यवाही को आख्या सहित आवेदन प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस दिनों की अवधि के अन्दर कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्दर समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा ।

(7) **राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख (खतौनी) अथवा खसरा में किसी अविवादित त्रुटि अथवा लोप को भू-अभिलेख मैनुअल में दी गयी रीति से जांच करने के बाद दुरुस्त कर सकेगा**।